न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 56 / 2025

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री रवि विश्नोई पुत्र बक्साराम, निवासी बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. मनोज कुमार जैन एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 15.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम में मैं प्रार्थी हमराह श्री धीरज कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, रविन्द्र मील प्रवर्तन निरीक्षक, दीनदयाल पार्क पर स्थित हरियाणा स्पेशल जलेबी दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री रवि विश्नोई पुत्र बक्साराम, निवासी बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैद्य व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी का मकान भी उसकी दुकान के पास ही है तथा जब अप्रार्थी अपनी दुकान पर कार्य कर रहा था, दौराने कार्य उसका व्यवसायिक सिलेन्डर खत्म हो गया, चूंकि भट्टी पर निर्माण का कार्य चूल था, इस कारण उसने त्वरित उपयोग हेतु अपना घर का सिलेन्डर लाकर लगा लिया, क्योंकि व्यवसायिक सिलेन्डर मंगवाने एवं आने में समय लगता, जिससे अप्रार्थी की दुकानदारी प्रभावित होती। अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है जो बमुश्किल अपनी आजीविका चलाता है। अप्रार्थी ने ऐसी कोई बड़ी गलती नही की, जिसके लिये उसे दण्डित किया जावे तथा अप्रार्थी यह भी अण्डर टेकिंग देता है कि आईन्दा कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी पर दया [illegible] उसके खिलाफ की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज॰)

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन क अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद ापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 1 गैस सिलेण्डरों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अप्रार्थी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है जो बमुश्किल अपनी आजीविका चलाता है। अप्रार्थी ने ऐसी कोई बड़ी गलती नही की, जिसके लिये उसे दण्डित किया जावे तथा अप्रार्थी यह भी अण्डर टेकिंग देता है कि आईन्दा कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी पर दया का रूख अपनाते हुए उसके खिलाफ की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में एवं बहस के दौरान स्वंय घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 8244, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स यादव एचपी गैस एजेन्सी सीसवाली को कीमत पर दिया जावे तथा उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested